

## क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम – नियमित टीकाकरण

बजट / एफ०एम०आर० शीर्ष(अनुलग्नक 2 के आधार पर)

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के कम्प्यूटर संचालक (Computer Assistant at District level) के

मानदेय के मद में

एफ०एम०आर० कोड संख्या – C.2.b

बजट क्रम संख्या / एफ०एम०आर० कोड संख्या (अनुलग्नक 2 के आधार पर)

पार्ट – सी.

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण (5 – 10 वाक्य अधिकतम)

जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के कार्यालय में स्थित नियमित टीकाकरण के डाटा के संकलन एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु नियुक्त कम्प्यूटर / डाटा संचालक के मानदेय के लिये इस राशि का उपयोग किया जा सकता है। विशेषकर RIMS/HMIS Software के तहत प्रति माह रिपोर्ट को अपलोड करना एवं प्रतिसप्ताह नियमित टीकाकरण के प्रपत्र – II में आर. आई. सेल राज्य स्वास्थ्य समिति को दो रिपोर्ट तिथिवार भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसके अन्तर्गत जिला स्वास्थ्य समिति रु० 8,000 – 11,000/- रूपये प्रतिमाह की दर से निश्चित TOR के अनुसार कम्प्यूटर संचालक रख सकती है।

इकाई राशि (रु० में)

रु० 8,000 – 11,000/- रूपये प्रतिमाह जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के कम्प्यूटर / डाटा संचालक हेतु।

वित्तीय दिशा निर्देशन

प्रत्येक जिला में जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी के लिये एक कम्प्यूटर सहायक को रखना एवं उनका नियमित रूप से भुगतान करना सुनिश्चित करें।

इस संदर्भ में यदि कोई पत्र पूर्व में प्रेषित किया गया हो (पत्र सं. तिथि के साथ उल्लेखित करें)

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम

डा. नरेन्द्र कुमार सिंहा, राज्य प्रतिरक्षण पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर

9470003014 / 0612–2290351

*S. Kumar*

*(Signature)*

*जून*

*१५*